HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No A/2190.. Jabalpur, dated 14/03/2024
III-6-4/72

Copy of the notification No. 566-1882333-24-50-2 dated 26-02-2024 of the Government of M.P., Department of Women & Child Development issued as per the provisions of Section 4 (1) and (2) of the Juvenile Justice Act, 2015 (excerpted from Gazette of M.P. dated 08.03.2024), is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judge, Ashoknagar for information and necessary action with request that the order may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.

14.3.24

(SANTOSH PRASAD SHUKLA)
REGISTRAR District Establishment

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2024

फा. क्र. 1250-2024-इक्कीस-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा, श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5(1) (ए) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 1,44,840 से 1,94,660 (J-5) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2024

पंजी. क्र. 709-2024-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला अनूपपुर में विभागीय आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 1983 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री सुन्दरलाल सोनी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर के माध्यम से प्राप्त आवेदन अनुसार अस्वस्थ्य रहने के कारण उनके द्वारा स्वेच्छा से आगे नोटरी व्यवसाय चालू नहीं रखने के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भटेले, अतिरिक्त सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. एफ-22-14-2000-ई-चार.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2022 द्वारा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) (संशोधित अधिनियम, 2000) की धारा 10(ए) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अजीत केसरी, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु नामांकित किया गया था. श्री अजीत केसरी, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है.

2. अतएव, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री अजीत केसरी, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के स्थान पर श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कठाने, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2024

शुद्धि-पत्र

क्र. यूडीएच-3-0006-2024-अठारह-5.—नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. यूडीएच-3-0006-2024-अठारह-5, दिनांक 12 फरवरी 2024 को साधारण राजपत्र में प्रकाशित कराये जाने हेतु लिखा गया था उक्त सूचना का साधारण राजपत्र में दिनांक 16 फरवरी 2024 प्रकाशित हुई है. विभागीय सूचना दिनांक 12 फरवरी 2024 में टंकन त्रुटिवश कुल रकबा 0.280 के स्थान पर 0.670 अंकित हुआ है. कृपया उक्त सूचना में कुल रकबा 0.670 के स्थान पर कुल रकबा 0.280 पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2024

क्र. 566-1882333-24-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने

तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अशोकनगर	अशोकनगर	श्रीमती पूनम कटारिया, JMFC

No. 566-1882333-24-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ashoknagar	Ashoknagar	SMt. Poonam Katariya, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसारिया, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2024

क्र. एफ 15-15-2006-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष के लिए मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड का पुनर्गठन निम्नानुसार करता है:—

पदेन शासकीय सदस्य

1.	माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	माननीय वनमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
3.	माननीय वन राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
4.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
7.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल	सदस्य
8.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम	सदस्य